न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 01 / 18 **वर्ष 2018**

आरसीएमएस संख्याः– (2019 / 00010)

बउनवानीः– 1. हरिराम पुत्र रामकुंवार मीना ,निवासी गोठडा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. लखपत पुत्र रामकुंवार मीना ,निवासी गोठडा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. प्राथमिक पाठशाला ग्राम गोठडा जरिये प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ग्राम गोठडा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 22.2.1979 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री अमित बंसल वकील प्रार्थीगण
2. श्री महावीर चौधरी वकील अप्रार्थी (पैरोकार राजस्व)

–: निर्णय :– **दिनांक 20.1.2020**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.2.1979 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि दिनांक 22.2.1979 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक पाठशाला गोठडा को ख0न0 508 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म बजंउ दोयम आवंटन की गयी इसके साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को भी कृषि उद्देश्य हेतु भूमि आवंटन की गयी थी। साबिक ख0न0 508 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के सेटलमेंट ऑपरेशन के बाद नवीन नम्बर सेटलमेंट विभाग ने 908 रकबा 0.0800 है0 ख0न0 909 रकबा 0.1400 है0 ख0न0 1084 रकबा 0.0600 है0 ख0न0 1085 रकबा 0.2600 है0 कुल रकबा 0.5400 है0 बनाये है यह भूमि वर्तमान में प्राथमिक पाठशाला ग्राम गोठडा की खातेदारी मे दर्ज है मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की गयी। यह तर्क भी दिया कि उक्त आवंटन आदेश से प्रार्थी पीडित है क्योंकि इस ख0न0 मे प्रार्थीगण के पुख्ता मकान व बाडा कदीमी से यानी करीब 40–50 वर्षो से बनाकर निवास कर रहे है। प्रार्थी के पूर्वज रामकुंवार पुत्र भोरया के खिलाफ हल्का पटवारी ने इस संबंध में धारा 91 की कार्यवाही एल.आर.एक्ट के तहत करने हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को रिपोर्ट की थी जिसपर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गयी थी परन्तु मौके से कभी भी प्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल नही किया है प्रार्थी के पूर्वज व प्रार्थी के कब्जे के सबूत के रूप में खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2029 जिसमे ख0न0 508 की भूमि को बाडा व आबादी दर्शाया गया तथा कृषक के कॉलम मे रामकुंवार का नाम अंकित है इसी प्रकार खसरा परिवर्तशील की संवत् 2031 की नकल के कॉलम संख्या 15 मे प्रार्थी के मकान व बाडा को दर्शित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन सलाहकार समिति ने आटूणकलां ग्राम पंचायत हैड क्वाटर पर भूमि का आवंटन किया है हल्का पटवारी ने भूमि का मुआवना किए बगैर भूमि को खाली बताया है जो कि सरासर मिथ्या है स्वंय हल्का पटवारी ने मौके पर मकान बाडा प्रार्थी का होने बाबत रिपोर्ट की ओर आवंटन के समय इस तथ्य को छुपाया है तथा बिना मौका देखे भूमि खाली होने बाबत रिपोर्ट की है जबकि भूमि खाली नही थी तो आवंटन कैसे की जा सकती है उक्त भूमि को प्रार्थी को खुद काश्तकार है इसलिए बाडा हेतु आवंटित की जानी चाहिए थी,परन्तु ऐसा नही करके रेवेन्यू कर्मचारियो व आवंटन सलाहकार समिति ने नियमों की अवहेलना की है इसलिए आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि यह भूमि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवंटित की है उसको उपयोग में लिया जाना आवश्यक है किन्तु आज दिन तक यह भूमि खेल मैदान हेतु उपयोग मे नही ली गयी है बल्कि प्रार्थी का मकान व बाडा बना हुआ है तथा प्रार्थी के

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उपयोग में आ रही है ना कि खेल मैदान के रूप में इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी प्रा0 पत्र जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधिवत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नही की है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 23.11.1978 को राजस्व अभियान केम्प गोठडा में एक प्रार्थना पत्र बाबत राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोठडा के खेल मैदान हेतु पेश होने पर पटवारी रिपोर्ट ली गयी जिसमे पटवारी हल्का आटूणकलां द्वारा अंकित किया कि ख0न0 508 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा बजंड भूमि गौठडा मे मौजूद है जिसपर किसी व्यक्ति का अतिक्रण नही है तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त भूमि खेल मैदान हेतु देने बाबत अपनी सहमति दी गयी जिसके उपरान्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपनी अभिशंषा के उक्त भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने हेतु उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रस्ताव भिजवायी जाने पर सम्पूर्ण आवंटन सलाहकार समिति जिसमे सरपंच, विकास अधिकारी, उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से भूमि आवंटित की जाकर दिनांक 4.5.1979 को प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोठडा को कब्जा सम्भलाया जाकर दिनांक 23.5.1979 को आवंटित भूमि का पटटा जारी किया गया है। इस प्रकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोठडा के खेल मैदान हेतु भूमि ख0न0 508 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का विधिवत आवंटन किया गया है यह तर्क भी दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है किन्तु राजकीय प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान हेतु किया गया उक्त आवंटन छलपूर्वक करवाया आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किये जाने बाबत कथन किया है किन्तु कथन के समर्थन में कोई ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। खैल मेदान की भूमि पर वर्तमान मे प्रार्थीगण के कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है क्योकि आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का यदि कोई कब्जा भी है तो मात्र वह अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा यह भी सिद्व नही किया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोठडा के खेल मैदान को किया गया आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया आवंटन हो। इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध मूल आवंटन मिसल में उक्त आवंटन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया हो ऐसा कोई तथ्य नही पाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौठडा को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है एवं आवंटन के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त किया न्याय संगत नही है। चूंकि वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मूल आवंटन मिसल से बखूबी हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोठडा के खेल मैदान हेतु विधिवत किये गये आवंटन आदेश दिनांक 22.2.1979 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.01.30 16:57:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: